[22/9/2020]

प्रश्न सं. [क्र. 578]

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 578
माननीय विधायक - श्री ...
सदन के उत्तर दिनांक - 22-9-2020

V S Q - 578

मध्य प्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 2837/2020/तेरह भोपाल,दिनांक 17/4/2020

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि.
जबलपुर।

विषयः—कोरोना वायरस जनित सर्वव्यापी महामारी (कोविड--19) से बचाव हेतु लॉकडाउन में दिनांक 3 मई,2020 तक की गई वृद्धि के दृष्टिगत विद्युत उपभोक्ताओं को माह अप्रैल,2020 के देयक जारी करने बावत्।

संदर्भः—आपकी कंपनी का पत्र क्रमांक मु.म.प्र.(रा.प्र.)/एल.एम./कोविड—19/2019—20/09 दिनांक 17.4.2020

उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अप्रैल 2019 में की गई खपत की तुलना फरवरी,2020 से की गयी है एवं इसे लगभग 1.25 गुना होना दर्शाया गया है। पत्र द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि माह अप्रैल में घरेलू उपभोक्ताओं की खपत हेतु या तो माह फरवरी 2020 में हुई खपत में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर बिलिंग करने अथवा विगत वर्ष के समान माह में दर्ज हुई खपत के आधार पर बिलिंग करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव पर विचारोपरांत निर्देशानुसार विगत वर्ष के समान माह जैसे कि अप्रैल 2020 में अप्रैल,2019 कीं दर्ज खपत के आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं की बिलिंग करने के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जाती हैं। यह सहमति इस शर्त पर होगी कि जिन माहों में घरेलू उपभोक्ताओं की रीडिंग नहीं हो पाने के कारण विगत वर्ष की खपत के आधार पर बिल भेजे जा रहे हैं वहां पर लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के उपरांत वास्तविक रीडिंग के आधार पर की गयी बिलिंग में इसे समायोजित करना सुनिश्चित किया जाये।

(पी.के.चतुर्वेदी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी,
म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग

पृ0 क्रमांक 2838/2020/तेरह भोपाल,दिनांक 17/4/2020

प्रतिलिपि—

1. प्रबंध संचालक,म.प्र.पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.जबलपुर/भोपाल/इंदौर।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी,
म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल